2021/103
2021/102

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 38 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मीलाल पिता स्वर्गीय हुकमीचन्द जी ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मंदिर मूर्ति ठाकुर श्री श्यामसुन्दर जी उदयपुर जरिये वादमित्र सहायक कमिश्नर देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)
2. वरदीशंकर पिता हुकमीचन्द जी ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 39 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मीलाल पिता स्वर्गीय हुकमीचन्द जी ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मंदिर मूर्ति ठाकुर श्री श्यामसुन्दर जी उदयपुर जरिये वादमित्र सहायक कमिश्नर देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)
2. वरदीशंकर पिता हुकमीचन्द जी ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
02.02.2021 प्रकरण सं. 44 / 2018

———::———

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1. श्री पुष्कर लोहार/कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री मनीष मोगरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक 05–02–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सवीना में साबिक आराजी नंबर 684 मी., 686 मी., 672 मी., 689 मी. कुल रकबा 31 बीघा 9 बिस्वा हाल आराजी नंबर 3041, 3043 से 3047 कुल किता 6 रकबा 0.7600 हैक्टर भूमि स्थित है, जो संयुक्त भण्डार के माध्यम से देवस्थान के नियंत्रण की होकर ठाकुर श्री श्यामसुन्दर जी नाबालिग मूर्ति है, जिस पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर रखा है। अतः उक्त आराजियात का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जाकर कब्जे की अवधि को हर साल के हिसाब से लगान का 15 गुणा पेनाल्टी की डिक्री प्रदान की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–07–2010 निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा ने दिनांक 24–02–2016 को अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण तनकियात का निर्माण कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 5 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय दिनांक 02–02–2021 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी का कब्जा हटाकर देवस्थान विभाग को सिपुर्द करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपील संख्या 38/2021 एवं 39/2021 प्रस्तुत की गयी।

उक्त दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील संख्या 38/2021 वादी का वाद डिक्री किये जाने के विरूद्ध तथा द्वितीय अपील प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम निरस्त किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकन अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तनकी नंबर 1 रेस्पोन्डेन्ट/वादी के पक्ष में निर्णित करने में भूल की है, क्योंकि उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता हुक्मीचन्द जी को सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा विधिवत विक्रय कर पट्टा प्रदर्श डी–1 जारी किया गया है तथा अपीलान्ट का अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है तथा तनकी नंबर 1 के विवेचन के आधार पर तनकी नंबर 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकी नंबर 3 जिसे प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कराया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है एवं तनकी नंबर 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णत करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि विवादित आराजियात बाबत् वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उप जिलाधीश उदयपुर के समक्ष वर्ष 1970 में दावा प्रस्तुत किया था, जो वर्ष 1971 में डिक्री किया गया। पट्टे में मदन मोहन का नाम है। अधीनस्थ न्यायालय ने आप न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:20 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट जिस पट्टा प्रदर्श डी.1 के आधार पर विवादित आराजियात का पट्टा अपने पिता को दिये जाने का कथन करते हैं, उसमें वादी मंदिर मूर्ति ठाकुर श्यामसुन्दर का नाम नहीं होकर ठाकुर जी मदनमोहन लाल का नाम अंकित है तथा आराजी नंबर भी वादग्रस्त आराजियात से भिन्न हैं, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज के आधार पर मंदिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग होती है, उसके खातेदारी अधिकार अपीलान्ट को नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना में प्रकरण में 5 तनकियां कायम की एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के जिम्मे की तनकी नंबर 1 व 2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकी नंबर 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करते हुए मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से उसकी भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को नहीं दिये जाने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद स्वीकार कर हाल आराजी नंबर 3041, 3043 से 3047 कुल किता 6 रकबा 0.7600 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रतिवादीगण का कब्जा हटाकर वादी देवस्थान विभाग सिपुर्द करने का आदेश दिया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–02–2021 यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:20 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............ व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस. ....

लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मीलाल पिता स्व. हुक्मीचन्द जी ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

मंदिर मूर्ति ठाकुर श्री श्यामसुन्दर जी उदयपुर जरिये वादमित्र सहायक कमिश्नर देवस्थान विभाग, उदयपुर व अन्य

अपील नं......38/2021...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....गिर्वा........... मुकाम................मुवर्खे.............02..............माह.............02............2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........05....माह........02....सन् 2025 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री पुष्कर लोहार......मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री मुरलीधर पालीवाल

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 02–02–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......05.......माह.......02..........2025 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:20 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰ ....

लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मीलाल पिता स्व. हुक्मीचन्द जी ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

मंदिर मूर्ति ठाकुर श्री श्यामसुन्दर जी उदयपुर जरिये वादमित्र सहायक कमिश्नर देवस्थान विभाग, उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......39/2021...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी......
.....गिर्वा........... मुकाम................मुवर्खे.............02..............माह.............02............2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........05....माह........02....सन् 2025 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री पुष्कर लोहार......मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री मुरलीधर पालीवाल

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 02–02–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......05.......माह.......02..........2025 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:20 IST
Reason: SelfAttested